



icmr
INDIAN COUNCIL OF
MEDICAL RESEARCH

NIRTH
NATIONAL INSTITUTE OF
RESEARCH IN TRIBAL HEALTH

आईसीएमआर-राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

ICMR - National Institute of Research in Tribal Health
Department of Health Research, Ministry of Health
and Family Welfare, Government of India

सं. राजस्वाअसं/हिंदी/प्रोत्सा.यो./ 199 /2024

दिनांक: 07.05.2024

परिपत्र

13 MAY 2024

विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के कार्यालय जा. सं. 12013/01/2011-रा.भा.(नीति) दिनांक 14/09/2016 एवं इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद मुख्यालय, नई दिल्ली के का. जा. संख्या-20/01/87-हिंदी दिनांक 26/04/2024 के अनुसार उपर्युक्त प्रोत्साहन योजना इस संस्थान में 01-04-2024 से 31-03-2025 तक एक वर्ष के लिए लागू की जाती है:-

प्रोत्साहन योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निम्नानुसार है :

- पात्रता:** जो अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में 01-04-2024 से 31-03-2025 की अवधि के दौरान वर्ष में कम से कम 20,000 (बीस हजार) शब्द या अधिक टिप्पणी-लेखन और आलेखन (पत्र आदि का प्रारूप तैयार करना) में मूल से रूप से हिंदी में लिखेंगे। इसमें मूल टिप्पण एवं आलेखन के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे रजिस्टर में इंदराज (प्रविष्टि), सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किया जाएगा।
- साप्ताहिक विवरणी:** योजना में भाग लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी को निर्धारित साप्ताहिक विवरणी प्रपत्र (प्रारूप संलग्न है) में मूलतः हिंदी में किए गए कार्य का विवरण दर्शाते हुए हर सप्ताह के अंत में उसे अपने अधिकारी से सत्यापित कराना है और प्रत्येक सप्ताह के अंत में या माह के अंत में अवश्य ही हिंदी-कक्ष (स्थापना अनुभाग) कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी को भेजना है। वर्ष के अंत में सभी प्रतिभागियों से प्राप्त विवरणियों का निदेशक महोदय के निर्देशानुसार इस संस्थान की 'राजभाषा कार्यन्वयन समिति' द्वारा कार्य की गुणवत्ता एवं मात्रा के आधार पर मूल्यांकन कर पुरस्कारों का निर्धारण किया जाएगा और इस संबंध में निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा।
- नकद पुरस्कार:** भाग लेने वाले कर्मचारियों को प्रति-वर्ष उनके द्वारा मूल रूप से हिंदी में किए गए कार्य के आधार पर निम्नलिखित नकद पुरस्कार दिए जाएंगे:-

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार)	-	प्रत्येक रु. 2000/-

नोट: जो अधिकारी/कर्मचारी नियमित रूप से (सप्ताह के अंत में या हर हाल में माह के अंत में अवश्य ही) कार्य की विवरणी सत्यापित कराकर हिंदी-कक्ष को नहीं भेजेंगे, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा।

यह परिपत्र निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(राजेन्द्र कुमार ठाकुर)

प्रशासनिक अधिकारी

कृते निदेशक

प्रति,

1. निदेशक कार्यालय	इस अनुरोध के साथ कि कृपया इसे अपने अधीनस्थ कर्मियों की जानकारी में ला दें तथा उनके मूल हिंदी कार्य की विवरणी सत्यापित कर हिंदी-कक्ष को नियमित रूप से भिजवाएं।
2. लेखा अधिकारी	
3. अनुभाग अधिकारी (स्थापना)	
4. अनुभाग अधिकारी (भंडार)	
5. प्रभारी, केंद्रीय पुस्तकालय	

प्रतिलिपि :

- सूचना-पटल
- कार्यालय आदेश मिसिल (स्था. अनु.)
- श्री अरविंद कबीश्वर, पी.टी.ओ. - कृपया संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
- कार्यालय प्रति।